

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1333 / 2025

सलीम मोहम्मद रंगरेज

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा।
4. प्रभारी, महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा।
5. श्री शंकर लाल जाट, जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, जिला भीलवाड़ा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025

आदेश की दिनांक : 27.02.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर एमजीएच भीलवाड़ा सम्बद्ध मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला चिकित्सालय लोहावट, फलौदी में किया गया है। उनका तर्क है कि जिलाध्यक्ष भाजपा भीलवाड़ा के पत्र दिनांक 05.01.2025 के आधार पर राजनैतिक द्वेषता स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन, भीलवाड़ा का पदाधिकारी है। अपीलार्थी के बच्चे अध्ययनरत है, जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को निरन्त वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम स्तर से जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के विरुद्ध अनुतोष चाहा गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण एमजीएच भीलवाड़ा सम्बद्ध मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा से जिला चिकित्सालय लोहावट, फलौदी में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किये जाने का प्रश्न है, तो हम पाते हैं कि *मंत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति क्रमांक प. 11(6)मं.मं./2023 जयपुर दिनांक 15.03.2024 के द्वारा चिकित्सा मंत्री महोदय को पंचायतीराज विभाग की अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार आवंटित किया हुआ है।* आलोच्य आदेश में भी सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् आदेश जारी किये जाने का तथ्य अंकित है। पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि जिलाध्यक्ष भाजपा का पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त हुआ हो एवं उस आधार पर स्थानान्तरण किया गया हो। अतः यह तर्क मान्य नहीं है।

हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित है। ऐसे में हम अपीलार्थी के आलोच्य आदेश में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। अपीलार्थी के स्थानान्तरण में किसी प्रकार की दुर्भावना रही हो, यह प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी अपनी पारिवारिक परिस्थिति के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना-पत्र पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य